रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01122022-240699 CG-DL-E-01122022-240699

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5328]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 30, 2022/अग्रहायण 9, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 30, 2022/AGRAHAYANA 9, 1944

No. 5328]

# सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2022

का.आ. 5560(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले के उदयपुर तहसील में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (नया 130) के कि.मी. 165.000 से कि.मी. 221.500 तक (बिलासपुर-कटघोरा-अम्बिकापुर खंड) के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर (छ.ग.) को लिखित रूप मे प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा <mark>3ग</mark> की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

7951 GI/2022 (1)

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

## अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले के उदयपुर तहसील में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (नया 130) के कि.मी. 165.000 से कि.मी. 221.500 तक (बिलासपुर-कटघोरा-अम्बिकापुर खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: छत्तीसगढ़ जिले का नाम: सरगुजा									
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)				
तालुक का नाम: उदयपुर									
गांव का नाम: साल्ही									
1	1/5	निजी	असिंचित	0.0140000( हेक्टेयर )	0.0140000				
2	3/5	निजी	असिंचित	0.0180000( हेक्टेयर )	0.0180000				
3	4	निजी	असिंचित	0.0480000( हेक्टेयर )	0.0480000				
4	5/1	निजी	असिंचित	0.0100000( हेक्टेयर )	0.0100000				
5	5/2	निजी	असिंचित	0.0100000( हेक्टेयर )	0.0100000				
6	5/3	निजी	असिंचित	0.0100000( हेक्टेयर )	0.0100000				
7	5/4	निजी	असिंचित	0.0100000( हेक्टेयर )	0.0100000				
8	55/3	निजी	असिंचित	0.0220000( हेक्टेयर )	0.0220000				
9	6/1	निजी	असिंचित	0.0170000( हेक्टेयर )	0.0170000				
10	6/2	निजी	असिंचित	0.0200000( हेक्टेयर )	0.0200000				
11	6/3	निजी	असिंचित	0.0100000( हेक्टेयर )	0.0100000				
12	6/4	निजी	असिंचित	0.0210000( हेक्टेयर )	0.0210000				
	0.2100								

फा. सं. RW/NH-37014/9/2013-NHDP-IVA/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2022

**S.O.** 5560(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act,1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of NH 111 (New 130) in the stretch of land from Km 165.000 to Km 221.500 (Bilaspur-Katghora-Ambikapur Section) in the District of Sarguja in the Tehsil of Udaipur in the State of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under subsection(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, sub division officer (Revenue), Ambikapur (C.G.) in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

#### **SCHEDULE**

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH 111 (New 130) in the stretch of land from Km 165.000 to Km 221.500 (Bilaspur-Katghora-Ambikapur Section) in the District of Sarguja in the Tehsil of Udaipur in the state of Chhattisgarh

State: CHHATTISGARH		District: Surg	ıja						
S.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)				
Taluk: Udaypur									
Village: Salhi									
1	1/5	Private	Non Irrigated	0.0140000(Hectare)	0.0140000				
2	3/5	Private	Non Irrigated	0.0180000(Hectare)	0.0180000				
3	4	Private	Non Irrigated	0.0480000(Hectare)	0.0480000				
4	5/1	Private	Non Irrigated	0.0100000(Hectare)	0.0100000				
5	5/2	Private	Non Irrigated	0.0100000(Hectare)	0.0100000				
6	5/3	Private	Non Irrigated	0.0100000(Hectare )	0.0100000				
7	5/4	Private	Non Irrigated	0.0100000(Hectare )	0.0100000				
8	55/3	Private	Non Irrigated	0.0220000(Hectare)	0.0220000				
9	6/1	Private	Non Irrigated	0.0170000(Hectare)	0.0170000				
10	6/2	Private	Non Irrigated	0.0200000(Hectare)	0.0200000				
11	6/3	Private	Non Irrigated	0.0100000(Hectare )	0.0100000				
12	6/4	Private	Non Irrigated	0.0210000(Hectare)	0.0210000				
Total 0.2100									

[F. No. RW/NH-37014/9/2013-NHDP-IVA/3A]
RAJESH GUPTA, Director